रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 527] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 29, 2016/श्रावण 7, 1938
No. 527] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 29, 2016/SRAVANA 7, 1938

indiacode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 748(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान, बल्लभगढ़ में समूह 'क' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान, समूह 'क' पद भर्ती नियम 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना**.—ये नियम , इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान**.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता**.—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, **तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके,** इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. निदेशक	1* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड -4, 37400-67000 रु.+ ग्रेड वेतन 8700 रु.	चयन	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(11)
प्रोन्नति :
राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान में ऐसे रीडर जिन्होंने वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु.+ ग्रेड वेतन 7600 रु. की श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यथाविहित संस्थान से पशु कल्याण के क्षेत्र में दो-चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो ।
टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।
टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।
प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है):
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों **या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों** के अधीन ऐसे अधिकारियों में से :-
क (i) जो **मूल काडर या विभाग में** नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है ; या
(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3, 15600-93100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु. में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :
आवश्यक
(i) संगठनों में अध्यापन या अनुसंधान में दस वर्ष के अनुभव सहित प्राणी विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें पशु कल्याण क्रियाकलापों पर अनिवार्य

कार्य किया गया हो; या

(ii) संगठनों में अध्यापन या अनुसंधान में ग्याहर वर्ष के अनुभव सहित पशु चिकित्सा विज्ञान में बैचलर डिग्री जिसमें पशु कल्याण क्रियाकलापों पर अनिवार्य कार्य किया गया हो ।

वांछनीय

आवश्यक अर्हताएं के अधीन यथाविनिर्दिष्ट संबंधित विषय में डाक्टरेट की उपाधि ।

टिप्पण 1 :—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2 :—प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 :—प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4 :—प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, **सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है** उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय /प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, पशु कल्याण प्रभाग पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य 3. संयुक्त सचिव, प्रशासन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. रीडर	2* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड -3, 15600-39100 रु.+ग्रेड वेतन 7600 रु.	चयन	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

(11)

प्रोन्नति :

राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान में ऐसे सहायक आचार्य (ज्येष्टि स्केल) जिन्होंने वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु.+ ग्रेड वेतन 6600 रु. की श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यथाविहित संस्थान से पशु कल्याण के क्षेत्र में दो-चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो ।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले

IndiaCode

(12)	(13)
ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों **या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों** के अधीन ऐसे अधिकारियों में से :- (क) (i) जो **मूल काडर या विभाग में** नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है ; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु. में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है : **आवश्यक** (i) संगठनों में अध्यापन या अनुसंधान में आठ वर्ष के अनुभव सहित प्राणी विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें पशु कल्याण क्रियाकलापों में अनिवार्य कार्य किया गया हो; या (ii) संगठनों में अध्यापन या अनुसंधान में नौ वर्ष के अनुभव सहित पशु चिकित्सा विज्ञान में बैचलर डिग्री जिसमें पशु कल्याण क्रियाकलापों पर अनिवार्य कार्य किया गया हो । **वांछनीय** आवश्यक अर्हताएं के अधीन यथाविनिर्दिष्ट संबंधित विषय में डाक्टरेट की उपाधि । **टिप्पण 1:-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3:-** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, **सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है** उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।	समूह 'क' विभागीय / प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :- जिसमें निम्नलिखित होगें :- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, पशु कल्याण प्रभाग पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य 3. संयुक्त सचिव, प्रशासन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. सहायक आचार्य (ज्येष्ठ स्केल)	3* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड -3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

(11)

प्रोन्नति :

राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान में संस्थान में कार्य करने वाले ऐसे सहायक आचार्य जिन्होंने वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु.+ ग्रेड वेतन 5400 रु. की श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यथाविहित संस्थान से पशु कल्याण के क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो ।

टिप्पण 1:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 2:- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है):
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों **या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों** के ऐसे अधिकारी :-

(क) (i) जो **मूल काडर या विभाग में** नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है ; या
(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :

आवश्यक

(i) संगठनों में अध्यापन या अनुसंधान में तीन वर्ष के अनुभव सहित प्राणी विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें पशु कल्याण क्रियाकलापों में अनिवार्य कार्य किया गया हो; या

(ii) संगठनों में अध्यापन या अनुसंधान में चार वर्ष के अनुभव सहित पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक डिग्री जिसमें पशु कल्याण क्रियाकलापों पर अनिवार्य कार्य किया गया हो ।

वांछनीय

आवश्यक अर्हताएं के अधीन यथाविनिर्दिष्ट संबंधित विषय में डाक्टरेट की उपाधि ।

टिप्पण 1:-पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

(प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालीक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

टिप्पण 2:-प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, **सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है** उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर सचिव, - अध्यक्ष पशु कल्याण प्रभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 2. संयुक्त सचिव, - सदस्य पशु कल्याण प्रभाग पर्यावरण, वन और जलवायु	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

परिवर्तन मंत्रालय 3. संयुक्त सचिव, प्रशासन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. सहायक आचार्य	6* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड -3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.	लागू नहीं होता	पैंतीस वर्ष से अनधिक	**आवश्यक** (i) संगठनों में अध्यापन या अनुसंधान में तीन वर्ष के अनुभव सहित प्राणी विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें पशु कल्याण क्रियाकलापों पर अनिवार्य कार्य किया गया हो ; या (ii) पशु कल्याण क्रियाकलपों पर आज्ञापक कार्य सहित संगठनों में अध्यापन या अनुसंधान में दो वर्ष के अनुभव सहित पशु चिकित्सा विज्ञान और पशु पालन में स्नातक डिग्री । **टिप्पण 1-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए **संघ लोक सेवा आयोग** के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं)** उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए **संघ लोक सेवा आयोग** के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर **संघ लोक सेवा आयोग** की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । **वांछनीय** आवश्यक अर्हताएं के अधीन यथाविनिर्दिष्ट संबंधित विषय में डाक्टरेट ।

IndiaCode

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य अधिष्ठापन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के अध्यधीन रहते हुए एक वर्ष	**सीधी भर्ती द्वारा :** **टिप्पण 1 :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी :- (क) (i) जो **मूल काडर या विभाग में** नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-2; 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु. के पद में दो वर्ष नियमित

		सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने वेतन बैंड - 2; 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. के पद में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो ; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है ।

(11)
लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. संयुक्त सचिव, पशु कल्याण प्रभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव,पशु कल्याण प्रभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य 3. निदेशक, राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान - सदस्य	भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 20-2/2014-ए.डब्ल्यू.डी.]

अनिल संत, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2016

G.S.R. 748(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' posts in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, National Institute of Animal Welfare, Ballabhgarh, namely:-

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, National Institute of Animal Welfare, Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale**.– The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification**.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax**.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

7. **Saving**.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Director.	* 1 (2016) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay band–4, Rs. 37400-67000/-) plus grade pay of Rs. 8700	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

IndiaCode

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Not applicable.	By promotion failing which by deputation (including short-term contract).	**Promotion :** Reader in the National Institute of Animal Welfare in the pay band-3, Rs.15600-39100/- with grade pay of Rs.7600/- with five years of regular service in the grade and have successfully completed mandatory training of two- four weeks in the field of animal welfare from the institute as prescribed by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service

		rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. Deputation (including short-term contract): From amongst the officers under the Central Government or State Government or Union territories Administrations or recognised research institutions or universities or public sector undertaking or semi-Government or statutory or autonomous organisations:- (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-3, Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs.7600/-; and (b) possessing the following educational qualifications and experience; **Essential:** (i) Post Graduate degree in Zoology with ten years experience in teaching or research in organisations with work mandated on animal welfare activities; or (ii) Bachelor degree in Veterinary Science and Animal Husbandry with eleven years experience in teaching or research in organisations with work mandated on animal welfare activities. Desirable: Doctorate degree in a related subject as prescribed under essential qualifications; **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:** For purposes of appointment on deputation (including short-term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit shall extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:- (1) Chairman or Member UPSC -Chairman; (2) Joint Secretary, Animal Welfare Division, Environment, Ministry of Forests and Climate Change -Member; (3) Joint Secretary, Administration, Ministry of Forests and Environment, Climate Change -Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. Reader .	* 2 (2016) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3 Rs. 15600-39100/- plus grade pay of Rs.7600/- .	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

IndiaCode

(9)	(10)	(11)
Not applicable.	By promotion failing which by deputation (including short-term contract).	**Promotion:** Assistant Professor (Senior Scale) in the National Institute of Animal Welfare in the pay band -3, Rs.15600-39100/- with grade pay of Rs.6600/- with five years of regular service in the grade and have completed mandatory training of two-four weeks in the field of animal welfare from the institute as prescribed by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. Deputation (Including short-term contract): From amongst the officers under the Central Government or State Government or Union territories Administrations or public sector undertaking or universities or recognised research institutions or autonomous bodies or statutory organisations.

		(A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay band-3, Rs.15600-39100/- with grade pay of Rs.6600/-; and (B) possessing the following educational qualifications and experience; **Essential:** (i) Post Graduate degree in Zoology with eight years experience in teaching or research in organisations with work mandated on animal welfare activities; or (ii) Bachelor degree in Veterinary Science and Animal Husbandry with nine years experience in teaching or research in organisations with work mandated on animal welfare activities. **Desirable:** Doctorate degree in a related subject as prescribed under essential qualification; **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:** For purposes of appointment on deputation (including short-term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Chairman or Member Union Public Service Commission - Chairman ; **(2)** Joint Secretary, Animal Welfare Division, Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member; (3) Joint Secretary, Administration, Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. Assistant Professor (Senior Scale).	* 3 (2016) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3 Rs. 15600-39100/- plus grade pay of Rs. 6600/-	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not applicable	By promotion failing which by deputation (including short-term contract).	**Promotion :** Assistant Professor in the pay band-3 Rs.15600-39100/- with grade pay of Rs.5400/- working in the National Institute of Animal Welfare with five years of regular service and have completed mandatory training of two to four weeks in the field of animal welfare from the institute as prescribed by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2**: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. Deputation (Including short-term contract): Officers of the Central or State Governments or Union territory Administrations or universities or recognised research institutes or autonomous or statutory bodies: (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-3, Rs.15600-39100/-, with grade pay of Rs.5400/-; and (B) possessing the following educational qualification and experience :

IndiaCode

		Essential: (i) Post Graduate degree in Zoology with three years experience in teaching or research in organisations with work mandated on animal welfare activities; or (ii) Graduate degree in Veterinary Science and Animal Husbandry with four years experience in teaching or research in organisations with work mandated on animal welfare activities **Desirable**: (i) Doctorate in related subjects as prescribed under essential qualifications. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications). **Note 2:** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Additional Secretary, Animal Welfare Division, Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Chairman ; (2) Joint Secretary, Animal Welfare Division, Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member; (3) Joint Secretary, Administration, Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4. Assistant Professor.	* 6 (2016) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-3 Rs.15600-39100/- plus grade pay of Rs.5400/-	Not applicable	Not exceeding thirty five years. **Note 1:** Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Division and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	**Essential:** (I) Post Graduate degree in Zoology with one year experience in teaching or research in organisation with work mandated on animal welfare activities; or (II) Graduate degree in veterinary science and Animal Husbandry with two years experience in teaching or research in organsations with work mandated on animal welfare activities. **Note 1:** Qualification are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Schedule castes and Schedule tribes if any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. **Desirable:** Doctorate in a related subject as prescribed under essential qualifications.	Not applicable

Indiacode

(9)	(10)	(11)
One year subject to successful completion of mandatory induction training two weeks duration.	By direct recruitment; **Note:** Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in post in the pay band-2 Rs.9300-34800/- with grade pay of Rs.4800/; or (iii) with three years regular service in post in pay band-2 Rs.9300-34800/- with grade pay Rs.4600/-; and (B) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7.	Not applicable

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Confirmation Committee consisting of:- (1) Joint Secretary, Animal Welfare Division, Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Chairman ; (2) Director or Deputy Secretary, Animal Welfare Division, Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member ; (3) Director, National Institute of Animal Welfare - Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making recruitment.

[F. No. 20-2/2014-AWD]

ANIL SANT, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.